

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय से चतुर्थ तल, ब्लॉक-5, डा. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 17

फोन नं: 0141-2715565

क्रमांक: रास्कूशिप/जय/वै.शि./ यूथ एवं ईको क्लब दिशा-निर्देश/2019-20/

5654

E-mail- smsa.asfe@gmail.com

दिनांक :- 11/11/19

हाऊस आधारित यूथ एवं ईको क्लब दिशा निर्देश 2019-20

A) प्रस्तावना:-

यूथ एवं ईको क्लब -

- (1) यूथ क्लब के तहत बच्चों में जीवन जीने का कौशल, आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास विकसित करने तथा तनाव, भय एवं संकोच जैसे मनोविकारों को दूर कर सोच में लचीलापन विकसित करने के उद्देश्य से प्रत्येक राजकीय विद्यालय में यूथ क्लब की स्थापना की जायेगी।
- (2) ईको क्लब के तहत बच्चों को अपने आस-पास के पर्यावरण एवं जैव-विविधता के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाने तथा पर्यावरण गतिविधियों एवं प्रोजेक्ट्स पर कार्य करने के लिए क्षमता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक राजकीय विद्यालय में ईको क्लब की स्थापना की जायेगी।

B) यूथ एवं ईको क्लब गठन की प्रक्रिया:-

1. प्रत्येक विद्यालय में यूथ एवं ईको क्लब के तहत प्रारम्भिक शिक्षा की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिये पांच सदन (हाऊस) गठित किये जायेंगे एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों के लिये इसी नाम से पांच सदन (हाऊस) गठित किये जायेंगे।
2. विद्यालय संस्था प्रधान यूथ एवं ईको क्लब के प्रभारी अधिकारी होंगे।
3. संस्था प्रधान (प्रभारी अधिकारी) की भूमिका सहायक, मार्गदर्शक एवं कार्यक्रम के लिये सुविधा उपलब्ध कराने की होगी। विद्यालय में हाऊस व्यवस्था के तहत यूथ एवं ईको क्लब की गतिविधियों को संचालित करने की समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी।
4. प्रारम्भिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8) के विद्यार्थियों के लिये यूथ एवं ईको क्लब के तहत पांच सदन (हाऊस) बनाये जायेंगे इनके नाम - पृथ्वी, जल, वायु, आकाश एवं अग्नि होंगे।
5. माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 9 से 12) के लिये यूथ एवं ईको क्लब के तहत पांच सदन (हाऊस) बनाये जायेंगे इनके नाम - पृथ्वी, जल, वायु, आकाश एवं अग्नि होंगे।
6. संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक को सदन (हाऊस) का प्रभार दिया जायेगा। विद्यालय में शिक्षकों की संख्या सदन (हाऊस) की संख्या से अधिक होने की स्थिति में कुछ सदनों के लिये एक से अधिक प्रभारी शिक्षक बनाये जायेंगे। विद्यालय में सदन (हाऊस) से कम शिक्षक उपलब्ध होने की स्थिति में कुछ शिक्षकों को एक से अधिक सदन (हाऊस) का प्रभारी शिक्षक नियुक्त किया जायेगा। वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठ शैक्षिक कार्मिक को अपेक्षाकृत अधिक सदन (हाऊस) का प्रभार दिया जायेगा।
7. प्रारम्भिक शिक्षा की प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को पांच भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग के विद्यार्थी को एक सदन (हाऊस) के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा की कक्षाओं के पांचों सदनों में सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों का समान संख्या में प्रतिनिधित्व हो सकेगा। इसी प्रक्रिया के तहत माध्यमिक शिक्षा की कक्षाओं के लिये पांच सदन बनाये जायेंगे।

8. इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में यूथ एवं इको क्लब के तहत पांच सदन (हाऊस) कार्य करेंगे एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में यूथ एवं इको क्लब के तहत उन्हीं नाम से पांच सदन (हाऊस) कार्य करेंगे।
9. विद्यालय में नव प्रवेशित विद्यार्थी जिस सदन (हाऊस) का सदस्य बनेगा विद्यालय की अन्तिम कक्षा तक उसी सदन (हाऊस) का सदस्य रहेगा।
10. प्रत्येक सदन (हाऊस) की गतिविधियों को प्रभारी शिक्षक/शिक्षकों द्वारा संचालित करवाया जायेगा। प्रत्येक सदन (हाऊस) में सभी विद्यार्थियों का स्तर समान होगा। विद्यार्थियों में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ जैसी व्यवस्था को विकसित नहीं करना है। सदन (हाऊस) की गतिविधियों को संचालित करने में विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग लिया जायेगा। अच्छा प्रदर्शन करने के लिये बच्चों को प्रोत्साहित किया जायेगा एवं प्रत्येक बच्चे को समान रूप से अवसर प्रदान किया जायेगा।
11. पांच मूल तत्व आधारित नामों में से जिस नाम तत्व से सम्बन्धित सदन (हाऊस) में विद्यार्थियों को प्रवेश मिला है, उस सदन (हाऊस) के नाम के अनुरूप विषय पर विद्यार्थियों के लिये भाषण, निबन्ध लेखन, पत्र लेखन, पोस्टर बनवाना, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित करवायी जायें। साथ ही भाषा, सामाजिक विज्ञान के विषय यथा भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान तथा विज्ञान संकाय के विषयों यथा जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित तथा खगोल विज्ञान (एस्ट्रोनोमी) आदि को सदन (हाऊस) के नाम से साथ जोड़ते हुए विषय एवं प्राकृतिक मूल तत्व की महत्वता एवं सम्बद्धता को समझाने का उपक्रम विद्यार्थियों से करवायें।
12. सदस्य विद्यार्थीगणों को उनके स्वयं के नाम के अर्थ को समझाते हुए उसे अपने सदन (हाऊस) के नाम के परिप्रेक्ष्य में सम्बद्ध करने के प्रयास के लिये प्रेरित किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को सदन (हाऊस) के नाम की महत्वता बतलाते हुए इस नाम की अन्य विषयों से सम्बद्धता को इन्टरनेट, पत्र-पत्रिकाओं इत्यादि स्रोतों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रेरित किया जायेगा। इससे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होगी तथा वे अपने सदन के नाम को समग्र रूप से समझ सकेंगे एवं अन्य विषयों से सम्बद्ध कर सकेंगे।
13. प्रत्येक सदन (हाऊस) में यूथ एवं इको क्लब की समस्त गतिविधियां आयोजित की जायेंगी। यह गतिविधियां प्रभारी शिक्षक/शिक्षकों के निर्देशन में संचालित की जायेंगी।
14. समस्त विद्यार्थियों को यूथ एवं इको क्लब की गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।
15. समय-समय पर प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यार्थियों के पांचों सदन (हाऊस) के मध्य यूथ एवं इको क्लब की गतिविधियों की प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी एवं विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिये पुरस्कृत किया जायेगा। इसी प्रकार की प्रतियोगिताएं माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों के पांचों सदनों के मध्य आयोजित की जायेंगी।
16. यूथ एवं इको क्लब की गतिविधियों का आयोजन शिविरा कलैण्डर अनुसार उत्सव के लिये निर्धारित दिवसों एवं विद्यालय समय पश्चात् तथा अवकाशों के दौरान किया जायेगा।
17. यूथ एवं इको क्लब की गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों से बाल सभा के दौरान गतिविधि का प्रदर्शन कराया जायेगा।
18. विद्यार्थी उपस्थिति रजिस्टर में विद्यार्थी के नाम के समुख उसके सदन (हाऊस) का नाम भी अंकित किया जाये ताकि विद्यार्थी को सदन (हाऊस) के नाम से भी पहचाना जाये।

19. विद्यालय की प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक सदन (हाऊस) का रजिस्टर संधारित किया जायेगा। रजिस्टर के मुख्य पृष्ठ पर यूथ एवं ईको क्लब तथा सदन (हाऊस) का नाम अंकित होगा। रजिस्टर में सदन (हाऊस) के विद्यार्थियों के नाम व कक्षा अंकित होगी। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि की गतिविधि अंकित की जायेंगी। आयोजित की गई प्रत्येक गतिविधि का संक्षिप्त विवरण एवं दिनांक तथा आयोजन की समयावधि अंकित कर नोडल अधिकारी व संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। रजिस्टर में गतिविधि में व्यय राशि का विवरण संधारित किया जायेगा।
20. विद्यालय अवलोकन के समय संस्थाप्रधान द्वारा अवलोकन अधिकारी को समस्त “यूथ एवं ईको क्लब रजिस्टर” का अवलोकन करवाया जाकर हस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

नोट:- संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रत्येक विद्यालय के मुख्यद्वार पर 4 फीट x 2.5 फीट का स्थायी बोर्ड लगाया जायेगा। बोर्ड पर हल्का हरा रंग किया जाकर पीले रंग से “यूथ एवं ईको क्लब, समग्र शिक्षा राजस्थान” अंकित किया जायेगा।

C) गतिविधियाँ:-

- **यूथ क्लब गतिविधियाँ:-**
 - ✓ यूथ क्लब गतिविधियों में समस्त खेल व शारीरिक गतिविधियाँ, योग, ड्रामा, वाद-विवाद, संगीत, कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ एवं रीडिंग गतिविधियाँ इत्यादि शामिल हैं।
- **ईको क्लब गतिविधियाँ:-**
 - ✓ ईको क्लब गतिविधियों में पर्यावरण, जैवविविधता, जलवायु, स्थानीय पारिस्थितिकी, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति बच्चों में जागरूकता लाने वाले कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।
 - ✓ प्रदर्शनी, पेंटिंग, लेखन, वृक्षारोपण, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर आधारित चल-चित्रों का प्रदर्शन, अभिभावकों व सेवानिवृत्त एवं सेवारत राजकीय अधिकारी, शिक्षक, डॉक्टर, कोच, पर्यावरण के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों की वार्ता का आयोजन किया जायेगा।
 - ✓ सभी बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच में सहयोग प्रदान किया जायेगा। इसके अन्तर्गत सभी बच्चों की लम्बाई, वजन एवं शारीरिक बीमारी का रिकॉर्ड ‘विद्यार्थी उपस्थिति रजिस्टर’ में संधारित किया जायेगा। विद्यालय में आयोजित सभी प्रकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान किया जायेगा।
 - ✓ प्रत्येक माह के अंतिम दिवस को विद्यालय में “स्वच्छता कार्यक्रम” आयोजित किया जायेगा। जिसमें विद्यालय परिसर एवं कक्षा-कक्षों की साफ-सफाई, ठोस कचरा निस्तारण, जल-निकास एवं पानी की टंकियों की साफ-सफाई, सामूहिक रूप से शिक्षकों के निर्देशन में की जायेगी।
 - ✓ सप्ताह में एक बार प्रार्थना स्थल पर सभी बच्चों की शारीरिक स्वच्छता जैसे कि- नाखून, स्नान, सिर के बालों, दाँतों, चूनिफॉर्म, जूते-मोजों इत्यादि की साफ-सफाई की जाँच की जायेगी एवं बच्चों को शारीरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जायेगा।
 - ✓ जल संरक्षण से संबंधित गतिविधियाँ आयोजित की जाकर अपने आस-पास के लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जायेगा। जल संरक्षण के प्रति आयोजित होने वाले “जल शक्ति अभियान” अन्तर्गत सभी विद्यालयों के ईको क्लब द्वारा जल संरक्षण के प्रचार-प्रसार के आयोजन किये जायेंगे।

D) वित्तीय प्रावधान:-

समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2019-20 में यूथ एवं ईको क्लब की गतिविधियों को संचालित किये जाने के लिए डाइस डाटा 2017-18 के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा के 52539 विद्यालयों के लिए राशि रूपये 4636.35 लाख एवं माध्यमिक शिक्षा 14102 विद्यालयों के लिए राशि रूपये 3525.50 लाख का प्रावधान किया गया है। प्रति विद्यालय वित्तीय प्रावधान निम्नानुसार है:-

विद्यालय	गतिविधि	प्रति विद्यालय वित्तीय प्रावधान (राशि रूपये)
प्राथमिक विद्यालय	यूथ एवं ईको क्लब	5000
उच्च प्राथमिक विद्यालय		15000
माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय		25000

E) वित्तीय व्यय हेतु निर्देशः-

- विद्यालय को यूथ एवं ईको क्लब राशि का उपयोग यूथ एवं ईको क्लब की गतिविधियों के आयोजन में करना है।
- विद्यालय, सीआरसी एवं ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाली समस्त खेल व शारीरिक गतिविधियाँ, योग, ड्रामा, वाद-विवाद, संगीत, कला संबंधी गतिविधियाँ एवं रीडिंग गतिविधियों के आयोजन में इस राशि का उपयोग किया जायेगा।
- यूथ एवं ईको क्लब की गतिविधियों के दौरान बच्चों के लिए स्वल्पाहार, यात्रा किराया एवं समस्त आवर्ती खर्चों हेतु इस राशि का उपयोग किया जायेगा।
- यूथ एवं ईको क्लब गतिविधियों में निर्धारित बजट सीमा से अधिक राशि का व्यय नहीं किया जाये।
- यूथ एवं ईको क्लब की राशि का उपयोग अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा।
- यूथ एवं ईको क्लब की प्राप्त राशि एवं व्यय की गई राशि का इन्द्राज रोकड़ बही में किया जावे एवं बिले वाउचर संधारित किये जायेंगे।
- गतिविधियों हेतु उपलब्ध कराये गये बजट का सत्र 2019-20 में उपयोग किया जाकर निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण-पत्र ब्लॉक कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- राशि का उपयोग वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

१ .. ८

(प्रदीप कुमार बोटड़)

आयुक्त

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्,
एवं सह विशिष्ट शासन सचिव, जयपुर।

क्रमांक:- रास्कूलशिप/जय/ओ.शि./ यूथ एवं ईको क्लब दिशा-निर्देश/2019-20/ ५६५४

दिनांक : ११/९/१९

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित :-

- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त, रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
- निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
- निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त अनुदान के समुचित उपयोग हेतु, संयुक्त निदेशक/सीबीईओ/जि.शि.अ. प्रा. एवं मा./ सीबीईओ /पीईईओ को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।
- निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, (प्रथम/द्वितीय), रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
- नियन्त्रक वित्त, रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
- जिला परियोजना समन्वयक, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा समस्त जिले।
- जिला प्रभारी अधिकारी समस्त।
- रक्षित पत्रावली।

४३४
११/९/१९

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-द्वितीय

यूथ एवं ईको क्लब
उपयोगिता प्रमाण-पत्र (विद्यालय स्तर)

विद्यालय का नामयू.डाइस कोड.....
 यूथ एवं ईको क्लब प्राप्त राशिदिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2019-20 में प्राप्त यूथ एवं ईको क्लब राशि रु.का उपयोग एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा कर लिया गया है। उपयोग की गई राशिहै एवं शेष राशिव पूर्व अवशेष राशि रु0कुल राशि रु0बची थी जिसे चालान/चैक/डिमाण्ड ड्रॉफ्ट संख्या.....दिनांकद्वारा समर्पित कर दिया गया है / जमा करा दिया है, इसका आगामी वर्ष में देय सहायता अनुदान में समायोजित कर लिया जायेगा।

क्र. सं.	माह का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	नाम सामग्री	मात्रा/ संख्या	दर	राशि (रुपये)	उपयोग का विवरण	भण्डार पंजिका में इन्द्रजाज		वि. वि.
									प.सं.	दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद् द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एसएमसी/एसडीएमसी के प्रस्ताव संख्यादिनांकके अनुरूप क्रय की गई है जिसका अनुमोदन एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा दिनांकद्वारा किया गया। साथ ही उक्त विद्यालय शून्य नामांकन का नहीं है।

हस्ताक्षर
 सचिव
 एसएमसी/एसडीएमसी

हस्ताक्षर
 अध्यक्ष
 एसएमसी/एसडीएमसी

नोट:- बैंक से प्राप्त ब्याज का आहरण न करें। इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

कार्यालय ब्लॉक जिला

यूथ एवं ईको क्लब
उपयोगिता प्रमाण-पत्र (ब्लॉक स्तर)

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2019-20 में ब्लॉकजिलाके प्राथमिक,उच्च प्राथमिक,माध्यमिकएवं उच्च माध्यमिकविद्यालयों को जारी की गई यूथ एवं ईको क्लब की राशि का उपयोग संबंधित संस्था प्रधान द्वारा यूथ एवं ईको क्लब हेतु परिषद् से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाकर निर्धारित प्रपत्र में यू.सी. प्राप्त कर ली गई है जिसके आधार पर एकजार्इ उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है:-

क्रसं	विद्यालय का नाम	डाइस कोड	विद्यालय का प्रकार प्रावि/उप्रावि/मावि/उमावि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	वि. वि.
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							

हस्ताक्षर
 सहायक लेखाधिकारी
 सीबीईओ कार्यालय

हस्ताक्षर
 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
 ब्लॉक कार्यालय

यूथ एवं ईको क्लब
उपयोगिता प्रमाण-पत्र (जिला स्तर)

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2019–20 में जिला को यूथ एवं ईको क्लब मद में प्राप्त राशि रूपये में से कुल प्राथमिक, कुल उच्च प्राथमिक, कुल माध्यमिक एवं कुल उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कुल राशि जारी की गई एवं राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या पर समाचयोजन किया जा चुका है। उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा एमपीआर में मासिक आधार पर व्यय की प्रविष्टि की जा रही है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार है।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक/प्रभारी

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक

यूथ एवं ईको क्लब बोर्ड का प्रारूप

विद्यालय के मुख्यद्वार पर इस प्रारूप में बोर्ड प्रदर्शित किया जायेगा



Quality Interventions : 2019-20

S.N.	District	Secondary Sec. & Sr. Sec.		Elementary UPS only		Stand alone primary only schools		Total	
		Physical	Finance for Formal Edu. Rs. 25000/-	Physical	Financial @Rs. 15000/-	Physical	Financial @Rs. 5000/-	Physical	Financial in lac
1	AJMER	494	123.500	665	99.750	685	34.250	1844	257.500
2	ALWAR	743	185.750	1077	161.550	1006	50.300	2826	397.600
3	BANSWARA	421	105.250	501	75.150	2009	100.450	2931	280.850
4	BARAN	294	73.500	410	61.500	865	43.250	1569	178.250
5	BARMER	593	148.250	1332	199.800	2803	140.150	4728	488.200
6	BHARATPUR	523	130.750	591	88.650	606	30.300	1720	249.700
7	BHILWARA	544	136.000	944	141.600	1379	68.950	2867	346.550
8	BIKANER	384	96.000	486	72.900	1118	55.900	1988	224.800
9	BUNDI	264	66.000	377	56.550	602	30.100	1243	152.650
10	CHITTAURGARH	397	99.250	641	96.150	772	38.600	1810	234.000
11	CHURU	485	121.250	544	81.600	371	18.550	1400	221.400
12	DAUSA	360	90.000	470	70.500	703	35.150	1533	195.650
13	DHAULPUR	249	62.250	326	48.900	547	27.350	1122	138.500
14	DUNGARPUR	370	92.500	456	68.400	1646	82.300	2472	243.200
15	GANGANAGAR	451	112.750	592	88.800	882	44.100	1925	245.650
16	HANUMANGARH	335	83.750	428	64.200	309	15.450	1072	163.400
17	JAIPUR	915	228.750	1263	189.450	1471	73.550	3649	491.750
18	JAISALMER	176	44.000	283	42.450	731	36.550	1190	123.000
19	JALOR	351	87.750	564	84.600	969	48.450	1884	220.800
20	JHALAWAR	320	80.000	607	91.050	765	38.250	1692	209.300
21	JHUNJHUNU	496	124.000	550	82.500	489	24.450	1535	230.950
22	JODHPUR	604	151.000	905	135.750	1968	98.400	3477	385.150
23	KARAULI	309	77.250	395	59.250	683	34.150	1387	170.650
24	KOTA	303	75.750	417	62.550	366	18.300	1086	156.600
25	NAGAUR	690	172.500	983	147.450	1318	65.900	2991	385.850
26	PALI	468	117.000	737	110.550	610	30.500	1815	258.050
27	PRATAPGARH	186	46.500	326	48.900	1068	53.400	1580	148.800
28	RAJSAMAND	290	72.500	560	84.000	840	42.000	1690	198.500
29	S.MADHOPUR	292	73.000	314	47.100	455	22.750	1061	142.850
30	SIKAR	584	146.000	732	109.800	615	30.750	1931	286.550
31	SIROHI	217	54.250	250	37.500	509	25.450	976	117.200
32	TONK	321	80.250	518	77.700	605	30.250	1444	188.200
33	UDAIPUR	673	168.250	850	127.500	2680	134.000	4203	429.750
	TOTAL	14102	3525.500	20094	3014.100	32445	1622.250	66641	8161.850